एसओपी-3(संशोधित)

फा.सं0-3/42/2013-एसडी/एएम

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

सी.वी.मेस, जनपथ, नई दिल्ली-110001

सूत्रधार प्रभाग

(स्थापना अनुभाग)

दिनांक - 30 मई,2018

विषय- विभिन्न शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिलब्धियों में वृद्दि करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र विभिन्न आवश्यकताओं / कार्यों को पूरा करने के लिए संविदा आधार पर विभिन्न शैक्षिक (अनुसंधान फेलो), प्रशासनिक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। इस संस्थान में संविदा आधार पर कुछ शैक्षिक एवं अन्य कार्मिक ऐसे हैं, जो कई वर्षो से कार्य कर रहे है। इन्हें शैक्षिक एवं अन्य क्षेत्रों के कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त है। प्रायः संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की कार्य अवधि में विस्तार करने तथा उनके पारिश्रमिक में वृद्दि करने के लिए विभागाध्यक्ष को अनुरोध प्राप्त होते रहे है। अन्य शब्दों में, पारिश्रमिक में तदर्थ वृद्दि करने की स्थिति से बचने के लिए तथा नियुक्ति की अवधि में विस्तार करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश का पालन इसी समय से किया जाता है –

1. कर्मियों को केवल स्पष्ट प्रदेय योग्य और समय सीमा के साथ परियोजना के कार्यों में ही नियोजित किया जाएगा।
2. सामान्य मामलों में संविदा की अवधि समाप्त होने के साथ ही जेआरएफ / एसआरएफ की संविदा आधार पर की गई नियुक्ति समाप्त हो जाएगी।
3. ऐसे मामलो मे, जहाँ विभागाध्यक्ष यह महसूस करता है कि व्यक्ति में यदि असाधारण योग्यता हो और उसने सक्रिय रुप से प्रभागों के कार्यों की क्षमता में वृद्दि और सहायता प्रदान की है, तो विभागाध्यक्ष ऐसे व्यक्तियों की सेवाओ को जारी रखने के लिए उपसचिव(शैक्षिक) को अपनी सिफारिशे भेज सकता है।
4. उप सचिव विभागाध्यक्ष की सिफारिश को निम्नलिखित विवरण के साथ निदेशक(प्रशा.) को प्रस्तुत करेगा। निदेशक(प्रशा.) इस फाईल पर कार्यवाही करेगा और अंतिम अनुमोदन के लिए सदस्य सचिव को प्रस्तुत करेगा----

   (क) व्यक्ति के कार्यक्षेत्र क्या रहे है और अभी तक उसने किस प्रकार प्रभागो की सहायता की है।

   (ख) संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियो द्वारा किए गए कार्य के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट।

   (ग) इस समय प्रदान की जा रही परिलब्धियां,जहाँ पारिश्रमिक में वृद्दि की आवश्यकता का औचित्य और अवधि मे विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

यघपि पारिश्रमिक के संबंध में बडे प्रकार की शिथिलता के संबंध कुछ हद तक अनुमति दी जाएगी, जो कुल मिलाकर मामले की गुणानुक्रम पर निर्भर करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियो को मिलने वाली पारिलब्धियों मे सामान्य रुप से एकरुपता है।

(अनुराग त्रिवेदी)
निदशक(प्रशा.)

वितरण-
सभी कार्यालयाध्यक्ष/ सभी क्षेत्रीय निदेशक